	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 16, बुधवार, शाके 1942–मई 6, 2020 *Vaisakha 16, Wednesday, Saka 1942–May 6, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 20, 2020

एस.ओ. 237:-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि कोविड-19 को पूरे विश्व में महामारी घोषित कर दिया गया है और इस आपात और अकल्पित स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना साध्य नहीं है और लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और जिला कलक्टरों (रसद) द्वारा, केवल कोविड-19 महामारी के प्रबन्ध से संबंधित माल और सेवाओं के उपापन को, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों के लागू होने से, इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

[संख्या प. 2 (1) एफडी/एसपीएफसी/]

राज्यपाल के आदेश से,

हेमन्त कुमार गेरा,

शासन सचिव

वित्त (बजट) विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।